

**मंडल की 21 सितंबर 2021 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय**

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	156	24 अगस्त 2021 को आयोजित मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल ने संकल्प संख्या 153 में संशोधन/सुधार के साथ 24.8.2021 को हुई बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की.	सामान्य प्रशासन
2.	157	एम एल - सफल तथा सहायक मुरिंग लाँचों के निपटान हेतु मंजूरी.	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया- (i) सरकार द्वारा प्राधिकृत मूल्यांककों से मूल्यांकन के बाद यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के सामग्री प्रबंधन प्रभाग के जरिए 'जहाँ है जैसे है' आधार पर मुंपोट्र के एमएल - सफल तथा सहायक मुरिंग लाँचों का निपटान करना; तथा (ii) उक्त जहाजों के कर्मियों को अन्य प्रचालनीय जलयान पर तैनात करना.	समुद्री
3.	158	श्री सुरेश नारायणराव मारणे, पूर्व-किनारा कामगार, यातायात विभाग के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई - दंड की पूष्टि तथा क्रियान्वयन.	चर्चा के बाद, मंडल ने श्री सुरेश नारायणराव मारणे, पूर्व-किनारा कामगार, यातायात विभाग पर एक वर्ष की अवधि के लिए उनके पेंशन का 5% रोक कर रखने का दंड लगाने को अनुमोदन प्रदान किया.	यातायात
4.	159	रेल प्रभाग, यातायात विभाग में तृतीय श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदागत सेवायोजन.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 12, 13, 14 तथा 16 में दिये गये रेल प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	रेल
5.	160	पिर पाव स्थित तृतीय रसायन घाट का विकास - प्रस्ताव का स्वीकार.	चर्चा के बाद, मंडल ने ₹1,28,49,34,077 राशि के तथा जगह को मुक्त करने की तिथि से दो वर्षों की सम्पूरण अवधि के साथ ठेका न्यूनतम बोलीकर्ता, आइटीडी सीमेटेशन इंडिया लि. को प्रदान करने की निविदा समिति की सिफारिशों का स्वीकार करने के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
6.	161	महापत्तन न्यासों तथा गोदी श्रमिक मंडलों के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते का सुधार - यथानुपात पेंशन देयता का धन-प्रेषण.	मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 10 में दिया गय वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	वित्त
7.	162	फर्म "श्री पुष्पहंस केमिकल्स" का नाम दो वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में लिखना.	चर्चा के बाद, मंडल ने 24.2.2020 से प्रभावी दो वर्ष की अवधि के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट सहित किसी भी महापत्तन न्यासों में कार्य लेने हेतु फर्म श्री पुष्पहंस केमिकल्स का नाम काली सूची में लिखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया.	समुद्री
8.	163	2, जॅक्सन हाऊस स्थित अधिकारिक आवास में रहने को विस्तार-मामला संबंधी.	चर्चा के बाद, मंडल ने 8.9.2021 से प्रभावी 7.12.2021 तक तीन महीनों के लिए फ्लैट सं.2, जॅक्सन हाऊस, कुलाबा स्थित धारण के विस्तार के लिए श्री शिशिर श्रीवास्तव, पूर्व मुख्य सर्तकता अधिकारी, मुंपोट्र को मंजूरी देने के लिए अनुमोदन प्रदान किया. लागू किराया वही होगा जो न्या.सं.सं. 253 दिनांक 29.1.2021 में यथा अनुमोदित है अर्थात् 8.9.2021 से 7.12.2021 तक की अवधि के लिए लाइसेंस फी के साथ मकान किराया भत्ते की राशि मुंपोट्र को अदा की जायेगी.	कल्याण
9.	164	डीसीटी से आइलैण्ड क्लूज (हॉपिंग) दूर प्रचालित करने ले लिए अनुमति प्रदान करना.	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया - (ए) शुल्क के रूप में हर वित्तीय वर्ष 10% के दर से वृद्धि की शर्त से प्रति यात्रा ₹5000 का आधार मूल्य रखना (पिछली विज्ञापित निविदा अर्थात् हार्बर क्लूज प्रचालनों हेतु निविदा संख्या डीसी-03/2018 में जैसा निर्धारित किया गया था उसके समान), यह मंडल द्वारा दिनांक 24.9.2019 की न्या. सं. स. 142 के तहत अनुमोदित किया गया था.	समुद्री

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			<p>(बी) निविदाएँ न मँगवाते हुए प्रारंभ में पहले आओ-पहले पाओ आधार पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए (05) जलयानों को अनुमति प्रदान करना। इस सुविधा को व्यापक प्रसिद्धि के लिए समाचारपत्र में विज्ञापन दिया जायेगा (अन्य शर्तों तथा निबंधनों सहित लाइसेंसों की संख्या की समिक्षा का अधिकार मुंपोट्र के पास सुरक्षित होगा)। सुस्पष्ट शर्त के साथ लाइसेंस की अवधि का उल्लेख किया जायेगा जिस में यह लिखा होगा कि कोई भी विस्तारण मु.पो.ट्र के स्वेच्छा निर्णय से होगा।</p> <p>(सी) वृद्धि शर्त तथा अन्य सांविधिक देय प्रभारों का स्वीकार करने पर वेस्ट कोस्ट यॉट सर्विसेस प्रा.लि. को यात्रा सेवाएँ प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रदान करना बशर्ते कि उक्त उद्देश के लिए सांविधिक आवश्यकता का पालन करते हुए जहाज को तैनात किया जाए।</p> <p>(डी) यदि कोई प्रचालक तैनाती के लिए नवनिर्मित जलयान को खरीदना चाहता है तो प्रचालनारंभ के लिए स्वीकृति पत्र जारी करने कि तिथि से 180 दिनों के समय की अनुमति देना।</p> <p>(इ) इन स्थानों पर उपलब्ध गहराईयों के अनुसार यात्री वहन क्षमता तथा प्रचालन डुबावों के संबंध में प्रचालक(कों) को जहाजों के विनिर्देसन विशिष्टि का चयन करने की अनुमति देना। जहाज के पास</p>	

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			<p>उक्त उद्देश्य के लिए लागू आवश्यक सांविधिक प्रमाणपत्र(ओं) का होना जरुरी हैं।</p> <p>(एफ) रुचि की अभिव्यक्ति (इओआइ) को बोली प्रस्ताव में रूपांतरित किया तथा बोलीकर्ता का चयन किया गया था।</p>	
10.	165	एकता नगर स्थित मुंपोट्र कॉलोनी में उपलब्ध कुएँ के पानी की नीलामी।	<p>चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया -</p> <p>(i) <u>ई-निविदा</u>- तथा <u>ई-निलामी प्रक्रिया</u> का पालन करके निविदा में निर्धारित पात्रता निकषों को पूरा करनेवाले पात्र बोलीकर्ताओं से दो लिफाफा प्रणाली में <u>ई-प्रापण पोर्टल</u> तथा मुंपोट्र साईट के जरिए ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करना।</p> <p>(ii) निम्नुसार योग्यता पूर्व निकष अपनाना :</p> <p>(ए) <u>वित्तीय निकष</u> : 31.3.2021 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय व्यवसाय ₹8.76 लाख से कम नहीं होना चाहिए (वार्षिक प्रत्याशित आय के 30% अर्थात ₹29,20,000 के)</p> <p>(बी) <u>अनुभव निकष</u> : बोलीकर्ताओं को मोटर लॉरियों/टैंकरों के जरिए सरकारी संगठनों/पीएसयुओं/निजी फर्मों/हाउसिंग सोसाइटियों/हाउसिंग काम्पलेक्सों/ऑफिस कॉम्पलेक्सों आदि को पानी की आपूर्ति/परिवहन का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना जरुरी है।</p>	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
11.	166	निविदा संख्या इ-09/2019 - नई कॉलोनी नाडकर्णी पार्क, वडाला स्थित इमारत संख्याएँ 1 से 6, 11, 14, 15, 17 से 21, 23, 24 तथा 27 (17 इमारतें) की आवश्यक सिविल मरम्मत.	<p>चर्चा के बाद, मंडल ने निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया-</p> <p>(ए) जीएसटी का समावेश करके ₹2,61,21,673.59 राशि का अधिक मात्रा निष्पादन.</p> <p>(बी) जीएसटी का समावेश करके ₹20,14,735.46 राशि का अतिरिक्त मदों का निष्पादन.</p> <p>(सी) विषयाधीन निविदा कार्य में ₹1,81,75,287.63 की कुल बचत के प्रति ₹2,81,36,409.05 राशि का संचयी अतिरिक्त मदों सहित निवल अधिक निविदा मूल्य का 8.88% है.</p>	स्थापत्य
12.	167	किराए के चेकों को जमा न करने तथा कालातीत चेकों को पुनः वैध न करने के कारण हुई धन संबंधी हानि की वसूली का दंड लगाना. श्री एस.के भातगांवकर, पूर्व-अधीक्षक, रोकड तथा लेखा से ₹26,312 राशि के औसत प्रतिफल के दर के आधार पर (विकल्प-I के अनुसार) पोर्ट ट्रस्ट को हुई धन संबंधी हानि की वसूली के लिए अनुमोदन प्रदान किया.	मंडल ने श्री एस. के. भातगांवकर, पूर्व-अधीक्षक, रोकड तथा लेखा से ₹26,312 राशि के औसत प्रतिफल के दर के आधार पर (विकल्प-I के अनुसार) पोर्ट ट्रस्ट को हुई धन संबंधी हानि की वसूली के लिए अनुमोदन प्रदान किया.	संपदा
13.	168	जहाज कर्मियों की मात्र स्वदेश वापसी के लिए (कोरोना महामारी) जहाज कर्मियों के साथ आनेवाले क्रूज जहाजों हेतु दर सूची.	<p>चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया-</p> <p>(i) आपात काल में बड़ी संख्या में जहाज कर्मियों को स्वदेश लाने वाले इस प्रकार के क्रूज पोतों के लिए संमिश्र पत्तन प्रभारों पर विचार करना.</p> <p>(ii) बड़ी संख्या में जहाज कर्मियों की स्वदेश वापसी के विशेष मामलों, बंकरिंग, सभी जीवनावश्यक आपूर्तियों को लेने को क्रूज कॉल्स</p>	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			<p>के रूप में न लेना क्योंकि वे नियमित अवाधित क्रूज प्रचालनों के लिए जरुरी हैं, पर विचार करना।</p> <p>(iii) मरम्मत तथा मरम्मत के उद्देश्य से सर्वेक्षण के लिए पोर्ट में पधारने को क्रूज कॉल्स के रूप में विचार न करना।</p> <p>(iv) टिप्पणी के परिच्छेद 12(6) में यथा वर्णित दिनांक 2.6.2020 के संकल्प संख्या 30 को आमुख टिप्पणी के परिच्छेद 7 के भाग में संशोधन।</p>	
14.	169	<p>एलफिस्टन इस्टेट स्थित भूखंड संख्या 159 तथा 159ए का अभ्यर्पण कोड संख्या 30901428 मामला संख्या इओ/इ (275) वर्ष 2019</p> <p>मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल</p> <p>विश्वद</p> <p>स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.</p>	<p>चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया-</p> <p>(i) अनुलग्नक XII में दिया गया प्रारूप अभ्यर्पण प्रमाणपत्र जो वर्तमान संरचना, किराये का मार्गाधिकार, उपकरण, संयंत्र तथा यंत्र सामग्री तथा अन्य सेवाओं के साथ जहाँ है जैसे है आधार पर परिसर का रिक्त कब्जा लेने हेतु एसटीसी को सूचित किया जायेगा।</p> <p>(ii) मुख्य यांत्रिक अभियंता द्वारा यथा प्रमाणित संरचना, संयंत्र तथा यंत्र सामग्री की मूल्याहासित लागत को एसटीसी के देयों के प्रति समायोजित किया जायेगा।</p> <p>(iii) टिप्पणी के परिच्छेद 3 के अनुसार, 15.7.2021 को उपाध्यक्ष, मुंपोट्र द्वारा अध्यक्षता में हुई व्हीसी में निर्णय लिया गया तथा उसकी सुचना अनुलग्नक XIII में दिये गये दिनांक 30.7.1984 के शर्तों तथा</p>	संपदा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			<p>निबंधनों के पत्र की धारा xxiv के अनुसार परिच्छेद 3(ii), (v) तथा (vi) अनुसार एसटीसी को देय 30.6.2021 को यथास्थिति ब्याज के साथ 30.6.2021 को यथास्थिति ₹7,49,25,064.60 के बकायों के साथ एसटीसी को दी गई। एसटीसी के कुल बकाया देयों में पीजीएलएम, 2015 के अनुसार एसटीसी को संरचना, संयंत्र तथा यंत्रसामग्री की मूल्यहासित लागत हेतु क्रेडिट दिया जायेगा। सभी देयों का परिसमापन करने के लिए एसटीसी को 3 महीनों की समय सीमा प्रदान की जायेगी देयों के भुगतान न किये जाने के मामले में, मामले को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पास ले जाया जायेगा तथा क्षति की वसूली के लिए संपदा कार्यालय में पीपीइ अधिनियम के अधीन कानूनी कार्रवाई जारी रखी जायेगी।</p> <p>(iv) विषयाधीन भूखंड तथा किराए के मार्गाधिकार के लिए मासिक बिल के संबंध में 1.11.2020 से प्रभावी बिल की छाँटनी हेतु परिच्छेद 3 की बिंदु संख्या xi एसटीसी द्वारा विषयाधीन परिसर का अभ्यर्पण किये जाने की शर्त पर होगी। 1.11.2020 से प्रभावी उठाये गये मासिक बिलिंग इनवायस पर जीएसटी की वापसी के दावे के लिए वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी को अनुरोध किया जाएगा।</p>	

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(v) एसटीसी को संलग्न अभ्यर्पण प्रमाणपत्र के फॉर्मेट के अनुसार अभ्यर्पण प्रमाणपत्र को निष्पादित करके भूखंड संख्या 159 तथा 159ए को धारण कर रहे परिसर को अभ्यर्पित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त संप्रेषण की प्राप्ति से 7 दिनों के अंदर उपरोक्त का पालन नहीं किया गया तथा एसटीसी द्वारा परिसर को अभ्यर्पित करने में इस प्रकार से विलंब किया गया तो सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत प्रलंबित बेदखली कार्यवाही संख्या इओ/इ (275) वर्ष 2019 में दिये गये संपदा अधिकारी के आदेश को निष्पादित करके तथा बेदखली कार्यवाही में शीघ्रता लाकर मुंपोट्र इन परिसरों पर कब्जा कर लेगा तथा उसके बाद में उसमें जैसा दावा किया गया है वैसे क्षतियों की वसूली के लिए संपदा अधिकारी की कार्यवाही जारी रहेगी तथा उपर जैसे दिया गया है वैसे एसटीसी को प्रदान की गई रियायत को वापस लिया है/निरस्त किया है माना जायेगा।	
15.	170	3 अगस्त 2021 को हुई मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।	मंडल ने 3 अगस्त 2021 को हुई मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को नोट किया।	सामान्य प्रशासन
16.	171	24 अगस्त 2021 को हुई मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।	मंडल ने 24 अगस्त 2021 को हुई मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को नोट किया।	सामान्य प्रशासन

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
17.	172	पिर पाव में तृतीय रसायन पोतघाट का निर्माण - पिर पाव के पोतघाटों के लिए संचयी रसायन जोखिमी प्रबंधन योजना की तैयारी - पिर पाव स्थित सभी पोतघाटों का जोखिमी प्रचालन अध्ययन करने हेतु पीडीआइएल की नियुक्ति.	मंडल ने पीडीआइएल की उनके दिनांक 8.9.2021 के प्रस्ताव पत्र के अनुसार ₹4,99,000 की फी तथा अन्य शर्तों के साथ नामांकन आधार पर नियुक्ति करने के लिए कार्योन्तर मंजूरी प्रदान की।	स्थापत्य
18.	173	भूमि अनुज्ञप्ति मॉडेल पर तैरता भंडारण रिगैसिफिकेशन युनिट (एफएसआरयु) की स्थापना - योजना/अभीकल्प के पुनरीक्षण हेतु आइआइटी मद्रास की नियुक्ति।	मंडल ने मुंपोट्र की ओर से फोर-पॉईंट मूरिंग प्रणाली (जेटीविरहित निर्माण) पर स्पेस के प्रस्ताव के विस्तृत अध्ययन के लिए प्रो. एस नल्लयारसु द्वारा प्रतिनिधित्व किये आइआइटी मद्रास की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया। संपूर्ण लागत की प्रतिपूर्ति स्पेस द्वारा की जायेगी।	स्थापत्य
19.	174	यंत्र भवन, इंदिरा गोदी में आइबी युनिट हेतु कार्यालय जगह का आबंटन।	मंडल ने यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के दिनांक 9.9.2021 के आबंटन पत्र में उल्लिखित शेष शर्तों तथा निबंधनों के साथ एसआइबी को निःशुल्क, यंत्र भवन के 4थे माले के नक्शे पर चिन्हांकित ए1 अथवा ए2 क्षेत्रों के किसी एक में लगभग 150 चौं.फीट मापन की कार्यालय जगह के आबंटन के लिए अनुमोदन प्रदान किया।	यांत्रिकी
20.	175	जहाज एम.व्ही. इपीसी एंजेल के पोतभंग (wreck) की घोषणा	मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया: (i) जहाज एम.व्ही. इपीसी एंजेल को हटाने के लिए जाहाज मालिकों की असमर्थता तथा उनसे कोई प्रतिसाद न मिलने के कारण पोतभंग की घोषणा। (ii) पोतभंग (wreck) के रिसीवर के जरिए एम.व्ही इपीसी एंजेल की नीलामी तथा हटाना।	समुद्र

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
21.	176	देशी जलयानों द्वारा चावल के निर्यात को अनुमति तथा ऐसे जहाज लदानों के लिए स्टिक्फ़िडोरिंग प्रभारों में छूट.	<p>चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया -</p> <p>(i) चावल के निर्यात तथा अन्य किसी पोतभार के लिए इंदिरा गोदी तथा बंदरगाह दीवार पोतघाटों में देशी जलयान की सम्हलाई करना.</p> <p>(ii) जहाज पर तथा किनारे पर प्रचालन करने हेतु, निजी श्रमिकों का उपयोग करने के लिए एजेंट को अनुमति देना.</p> <p>(iii) जहाज-लदान को और व्यवहार्य बनाने के लिए निजी श्रमिकों का उपयोग करने हेतु 50% के दर से स्टिक्फ़िडोरिंग प्रभारों की वसूली न करना.</p>	यातायात
22.	177	पोतपरिवहन मंत्रालय के अधीन संगठनों तथा अन्य सरकारी संगठनों को मुंपोट्र के रिक्त आवासों का आबंटन के लिए प्रस्ताव - संशोधित नीति- संबंधी.	चर्चा के बाद, मंडल ने टिप्पणी के परिच्छेद 4 तथा 5 पर दिये गये कल्याण प्रभाग के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	कल्याण
23.	178	श्री अरघडे तथा श्री चौककर (सेवानिवृत्त बृहनमुंबई मनपा अभियंताओं) की नगरी क्षेत्र के लिए अवसंरचना योजना हेतु वरिष्ठ डोमेन विशेषज्ञों के रूप में नियुक्ति.	<p>चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया -</p> <p>(ए) टिप्पणी के परिच्छेद 5 में यथा उल्लिखित भुगतान शर्तों पर नगरी क्षेत्र के लिए अवसंरचना योजना हेतु नामांकन आधार पर वरिष्ठ डोमेन विशेषज्ञों के रूप में श्री अरघडे तथा श्री चौककर - सेवानिवृत्त बृहनमुंबई मनपा अभियंताओं की नियुक्ति.</p> <p>(बी) इस प्रयोजन के लिए ₹14 लाख प्रति वर्ष (जीएसटी) का समावेश करके का अनुमानित व्यय.</p>	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
24.	179	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में पर्यावरणीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति.	<p>चर्चा के बाद मंडल ने पर्यावरण तथा विभिन्न अनापत्तियों जैसे पर्यावरण, सीआरज़ेड आदि से संबंधित मामलों के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर सलाह पाने के लिए श्री प्रशांत वाघ को नियुक्ति करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। यह नियुक्ति दैनिक भेट आधार पर होगी तथा उसके लिए मानदेय भारतीय पत्तन संघ (आइपीए) की अधिसूचना के अनुसार प्रति भेट ₹5,500 तथा परिवहन की लागत तथा संबंध फुटकर व्यय के प्रति ₹1500 प्रति भेट जेबी खर्च दिया जायेगा।</p> <p><u>कार्यविधि:</u> पर्यावरणीय परामर्शदाता की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा मुंपोट्र के एकल अधिकार के अधीन एक और वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है।</p> <p><u>व्यय:</u> अनुमानित व्यय 2 वर्षों के लिए ₹1.68 लाख है (प्रति माह एक बार भेट की बारंबारता का विचार करके) जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।</p>	स्थापत्य
25.	180	<p>निविदा संख्या सीइ.एमआइसीटी/ओएण्डएम/2020: इंदिरा गोदी स्थित मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल (एमआइसीटी) का डीबीएफओटी (पीपीपी) आधार पर विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- प्रस्तुतिकरण 2: वाणिज्यिक प्रस्ताव</li> <li>- प्रदान करने को मंजूरी</li> </ul>	<p>चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया -</p> <p>(i) विषयाधीन पीपीपी कार्य के लिए लघुसूचीयनित बोलीकर्ता इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स अॅण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा यथा उद्धत 0.35% किराया हिस्से के वाणिज्यिक प्रस्ताव को स्वीकार करना तथा नियुक्ति तिथि से 24 माह की विकास अवधि सहित 30 वर्ष की रियाअत अवधि के साथ निविदा समिति द्वारा यथा संस्तुत इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल अॅण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. को कार्य प्रदान करना।</p>	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
			(ii) प्रदान करने के बाद मुंबई पोर्ट के न्यासी मंडल की ओर से करार पर हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्षजी को प्राधिकृत करना	
26.	181	भारतीय नौसेना/तटरक्षक आदि के 12 सेवानिवृत् कर्मचारियों की शिपिंग सहायक, व्हीटीएस, प्रचालक तथा बिलिंग हेतु डाटा प्रविष्टि से संबंधित कार्य के लिए संविदा आधार पर व्हीटीएस/सिग्नल सहायक के रूप में नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 में दिये गये उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।	सामान्य प्रशासन
27.	182	गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई के समीप रेडिओ क्लब स्थित यात्री जेटी तथा टर्मिनल सुविधाओं का निर्माण - कार्य आरंभ करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हेतु अनुरोध	चर्चा के बाद, मंडल ने निम्न को अनुमोदन प्रदान किया -  (i) सक्षम प्राधिकारियों के निदेशों तथा शर्तों का कडाई से अनुपालन करने की शर्त पर निर्माण की शुरुआत करने के लिए महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना।  (ii) यदि यात्री टर्मिनल प्रचालने प्रचालने तथा वाणिज्यिक दोहन हेतु तीसरे पक्ष को सुपुर्द किये गये तो आय को मुंपोट्र के साथ 50:50 आधारपर हिस्से में बाँटने के लिए एमएमबी को सूचित करना	समुद्री
28.	183	श्री केशव सुंदर, उप मुख्य अधियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग की 30 सितंबर 2021 से प्रभावी सेवानिवृत्ति.	न्यासियों ने श्री केशव सुंदर द्वारा उनकी मुंपोट्र में सेवा अवधि में प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं तथा योगदान के लिए अपनी उच्च प्रशंसा रिकार्ड पर रखी।	सामान्य प्रशासन

-----